रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1566] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2007/अग्रहायण 27, 1929
No. 1566] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2007/AGRAHAYANA 27, 1929

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 18 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2157(अ).—पटसन तथा पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश 2000 की खंड 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं बिनोद किस्पोट्टा, पटसन आयुक्त एतद् प्रति 100 बोरों की अधिकतम फैक्टरी उत्तर (एक्स फैक्टरी) मूल्य रु. 2048.33 निर्धारित करता हूँ, जिसमें 50 किलोग्राम पैकिंग हेतु उन्हीं बी. ट्वील जूट बोरे जिनका आकार 94 सेंमी. (+4,-0) × 57 सेंमी. (+4, -0)/एच.डी. और द्रव्यमान प्रति बोरे 665 ग्राम (+8%, -6%) हो, अन्तिम सिरे प्रति डी. एम. 76 (+4, -3) हो तथा पिक्स प्रति डी. एम. 28 (+2, -2) जिसमें बोरे की लंबाई के मध्यभाग में एकहरी नीली धारी हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि.मी. की दूरी पर दो क्रमागत लाल बाने के धागों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिन्ह् भी हो, जिनमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन (सं. भा.मा. 12650-2003, अद्यतन यथासंशोधित) के अनुरूप हो, माह अक्तूबर, 2007 के दौरान खरीद अथवा बिक्री की जा सकेगी । प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय कोलकाता द्वारा विनिर्दिष्ट मोनोग्राम से बोरे पर मुद्रित विनिर्माता मिल के नाम के पास भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण चिन्ह् भी हो । भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रावधान के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सामर्थ्य (ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ) ताने की 160 के. जी. एफ. और बाने की 145 के. जी. एफ. से कम न हो ।

2. उपरोक्त मूल्य का निर्धारण फसल वर्ष 2007-08 के न्यूनतम समर्थन मूल्य के व्युत्पन्न पर भारतीय पटसन निगम (जे.सी. आई.) से 80% कच्चे पटसन के लिंकेज को ध्यान में रखते हुए किया गया है [अर्थात् मिलों को 80% कच्चा पटसन, भारतीय पटसन निगम (जे.सी.आई.) द्वारा फसल वर्ष 2007-08 में न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान के अन्तर्गत खरीदे गए कच्चे पटसन से, क्रय करना आवश्यक है] । भारतीय पटसन निगम (जे.सी.आई.) से 80% कच्चे पटसन क्रय नहीं किये जाने की स्थिति में अक्तूबर, 2007 के लिए प्रति 100 बोरे के लिए मूल्य रु. 1884.48 निर्धारित किया गया ।

3. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई मूल्य में जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत देय उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर सम्मिलित नहीं है एवं खरीददार द्वारा फैक्टरी उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा ।

[फा. सं. 8/1/2006-पटसन]

बिनोद किस्पोट्टा, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER)

NOTIFICATION

Kolkata, the 18th December, 2007

S.O. 2157(E).— In exercise of the powers conferred by Clause 3 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000, I, Binod Kispotta, Jute Commissioner, hereby fix Rs. 2048.33 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twill Jute Bags for 50 kg. packing of the size

94 cm (+4, -0) × 57 cm (+4, -0) / HD., 665 gms.(+8%, -6%) mass per bag, 76 (+4, -3) ends per dm, 28 (+2, -2) picks per dm., single blue stripe running along the length of the bag at the centre along with additional identification marking of two consecutive red warp threads at a distance of about 150 mm away from any one side of the selvedge, dry sewn and conforming in all other respects to the current BIS specification (No. IS : 12650-2003, as amended till date) shall be purchased or sold during the month of October, 2007. Every bag is to be branded with monogram to be specified by DGS & D, Kolkata with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification marking. The average minimum breaking strength shall not be less than 160 kgf for warp way and 145 kgf for weft way as provided in the aforesaid specification of BIS.

2. The above price is fixed considering 80% linkage of raw jute on JCI derivative MSP price of crop year 2007-08 (i.e. mills shall compulsorily purchase 80% of raw jute from Jute Corporation of India, purchased under MSP operation in the crop year 2007-08). Without any linkage of JCI raw jute, the price is fixed at Rs. 1884.48 per 100 bags for the month of October, 2007.

3. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F. No. 8/1/2006-Jute]

BINOD KISPOTTA, Jute Commissioner

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.